न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश जोशी आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 78 / दावा / 2016

1. अशोक कुमार आयु 33 वर्ष आत्मज श्री जयलाल जाति चमार निवासी ग्राम पारलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

1. बादाम बाई पत्नि बजरंग लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
2. सुगना बाई पत्नि बिरधीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी
4. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, जिला बून्दी राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 251(क) राज0काश्त0अधि0

वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा.दी.

उपस्थितः–

1 श्री लीलाधर सिंह, अधिवक्ता वादीगण

2 प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से कुलदीप सिंह गौड

3 राज्य की और से पैरोकार सरकार।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

दिनांक :–04.05.18

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वादी की भूमि खसरा सं. 264 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा में विस्थित है का 5/18 हिस्से का भूमि धारणकर्ता खातेदार आसामी (टीनेंट) है तथा जोत (होल्डिंग) में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए बादाम बाई पत्नि बजरंगलाल जाति मीणा, सुगना बाई पत्नि बिरधीलाल जाति मीणा निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की जोत भूमि खसरा

Scanned by CamScanner

514/451 एवं 534/450 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेड़ा में से होकर मार्ग चाहता है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी मय अधिवक्ता उप. एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने स्वयं उप. होकर दि. 05.04.18 को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें उभयपक्षो ने वादी अशोक कुमार को अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि 264 में आने-जाने के लिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने क्रमशः अपनी कृषि भूमि ख.सं. 514/451 एवं ख.सं. 534/450 में से 30 फीट चौडा रास्ता वादी को मौके पर संभला दिया है जिसमें 15 फीट प्रतिवादी बादाम बाई ने तथा 15 फीट प्रतिवादी सुगना बाई ने कुल 30 फीट रास्ते के लिए दी है जिसकी प्रतिफल की राशि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने प्राप्त कर ली है। राजीनामा के अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने में उभयपक्ष सहमत है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया गया।

आदेश

परिणामतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादी की वादी की कृषि भूमि खसरा सं. 264 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील तालेड़ा में पहुँच के लिए प्रतिवादी सं. 1 की कृषि भूमि खसरा सं. 514/451 एवं प्रतिवादी सं. 2 की भूमि कृषि सं. 534/450 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेड़ा में से राजीनामा अनुसार 30 फीट चौडा एवं फोरलाईन हाइवे से पश्चिम दिशा में वादी की कृषि भूमि ख.सं. 264 तक नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं वादी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned by CamScanner